राजस्थान सरकार
पशुपालन निदेशालय, जयपुर

विज्ञप्ति

क्रमांकः–एफ.वी.(60)/विस्तार/पशुपालकसम्मान/24–25/10552   दिनांकः– 17-12-2024

पशुपालक सम्मान योजनान्तर्गत
प्रगतिशील महिला पशुपालकों से आवेदन आमन्त्रित

प्रदेश की समस्त प्रगतिशील महिला पशुपालकों को सूचित किया जाता है, कि वर्ष 2024–25 के लिये पशुपालक सम्मान योजनान्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति स्तर से एक पशुपालक का चयन किया जावेगा। जिले की पंचायत समितियों के स्तर पर प्रथम स्थान पर चयनित पशुपालकों में से दो का चयन जिला स्तर पर किया जावेगा एवं जिला स्तर से चयनित पशुपालकों में से दो का चयन राज्य स्तर पर किया जावेगा। चयनित पशुपालक को पंचायत समिति स्तर पर रू. 10,000/– जिला स्तर पर रू. 25,000/– तथा राज्य स्तर पर रू. 50,000/–की राशि प्रोत्साहन स्वरुप राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित कर प्रदान की जावेगी।

इच्छुक प्रगतिशील महिला पशुपालक समीपस्थ राजकीय पशु चिकित्सालय में कार्यालय/संस्था समय में अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक प्रस्तुत कर सकती है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार का विचार नही किया जायेगा। आवेदन पत्र एवं योजना की विस्तृत जानकारी के लिये सम्बन्धित जिला कार्यालय, संयुक्त निदेशक/उप निदेशक पशुपालन विभाग अथवा नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय में सम्पर्क किया जा सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(डा.भवानी सिंह राठौड़)
निदेशक

Document certified by BHAWANI SINGH RATHORE <BSRATHORE64@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by BHAWANI SINGH RATHORE
Designation : Director
Date :16-12-2024 05:16:28

RajKaj Ref No.: 12461838

आवेदन पत्र

पशुपालक सम्मान योजना, वर्ष 2024–25

जिला............................

महिला पशुपालक का नाम..पिता /पति का नाम.........................
.... पता...
...............पंचायत समिति :..तहसील.............................जिला.....
.... फोन नं. :...मोबाईल नं. :.....................................

पशुधन संख्या का विवरण:–

गोवंश	भैंस वंश	भेड़ वंश	बकरी वंश	ऊँट वंश	अश्व वंश	अन्य

विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी	
प्रतियोगिताओं अथवा मेलो में यदि पुरस्कार मिला हो तो विवरण	
पशुपालन के क्षेत्र में यदि कोई नवाचार हो तो उल्लेख करें	
अन्य विशेष विवरण	

सत्यापन :

1. सरपंच/जनप्रतिनिधि–

महिला पशुपालक के हस्ताक्षर

2. प्रभारी, पशु चिकित्सा संस्था–

आवश्यक संलग्नक :–

1. फोटो पहचान पत्र की प्रति
2. मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति
3. पुरस्कार के प्रमाण पत्रों की प्रतियां
4. पशुपालक का पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो
5. पशुधन एवं उन्नत पशुपालन तकनीक से सम्बन्धित रंगीन फोटो (साईज : 5 x 7 इंच)

नोट:– महिला पशुपालक आवेदन करते समय अपना नाम बैंक खाते के अनुरूप ही स्पष्ट रूप से अंकित करावें, साथ ही बैंक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न की जानी है। आवेदक अपना पासपोर्ट साईज का फोटो स्टेपल नही करें केवल चिपकाएं। मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित किया जावें।

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :–एफ.वी.(60)/विस्तार/पशुपालक सम्मान/15–16/10832 दिनांक : 27/11/2024

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2024–25 में पशुपालक सम्मान योजनान्तर्गत प्रगतिशील महिला पशुपालकों के चयन हेतु मार्गदर्शिका ।

प्रदेश के प्रगतिशील किसानों की तरह ही, प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान योजना के तहत वर्ष 2024–25 हेतु प्रगतिशील महिला पशुपालकों का चयन कर सम्मानित किये जाने के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका निम्नानुसार है।

योजना का उद्देश्य :–

- महिला पशुपालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना उत्पन्न करना।
- पशुपालकों को समृद्ध एवं उन्नत नस्ल के पशुओं को रखने की ओर प्रेरित करना एवं उस दिशा में महिला पशुपालकों का उत्साहवर्धन करना।
- आधुनिक तथा नवीनतम तकनीकी द्वारा पशु देखभाल करने से उत्पादकता पर प्रभाव को दर्शाना।
- नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान/उन्नत नस्ल के सांड द्वारा प्राकृतिक परिसेवा की महत्ता को सुस्थापित करना तथा अधिक उत्पादन हेतु कृत्रिम गर्भाधान से उत्पादित हुए पशुओं की उत्पादन क्षमता का प्रदर्शन कर अन्य महिला पशुपालकों को प्रोत्साहित करना।
- महिला पशुपालको का आर्थिक एवं सामाजिक विकास कर उन्हें पशुधन विकास की मूल धारा से जोड़ना है।
- योजना के माध्यम से प्रदेश की प्रगतिशील महिला पशुपालकों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित करना।

पात्रता :–

योजनान्तर्गत महिला पशुपालकों का चयन करते समय निम्नानुसार मापदण्डों को ध्यान में रखा जावें –

- योजनान्तर्गत महिला पशुपालक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- योजनान्तर्गत ऐसी प्रगतिशील महिला पशुपालकों का चयन किया जायेगा, जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार कर पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किये हों जो प्रदेश के अन्य पशुपालकों के लिये प्रेरणा का स्त्रोत बन...
- पशुपालन की नवीनतम तकनीक का उपयोग कर उन्नत नस्ल के पशुओं का ... करती हो। नियमित टीकाकरण, कृमिनाशक दवा का उपयोग ... हो।

Signature valid
Digitally signed by Santosh Karol
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2024.11.25 18:29:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12003858

- विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी रखती हो एवं उनका लाभ भी प्राप्त करती हो।
- विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/ प्रतियोगिताओं (जैसे दुग्ध प्रतियोगिता, कॉफ रैली, पशु मेलों में आयोजित नस्ल एवं उत्पादन से सम्बन्धित पशु प्रतियोगितायें आदि) में पुरूस्कृत हो चुकी महिला पशुपालकों को अंक प्रणाली अनुरूप प्राथमिकता ।
- पशुपालक, पशु प्रबन्धन, पशु आवास व्यवस्था, संतुलित आहार आदि के सम्बन्ध मे उन्नत तकनीकी ज्ञान के साथ–साथ वास्तविकता में इन तकनीकों को अपनाती हो।

चयन प्रक्रिया :–

- पशुपालक सम्मान योजना के तहत वर्ष 2024–25 में केवल प्रगतिशील महिला पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित किये जाने है।
- चयन समिति द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्राप्त कुल आवेदन पत्रो में से प्रथम तीन स्थानों के लिये वरीयता क्रम निर्धारण करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक–एक महिला पशुपालक का चयन किया जाना है।
- पंचायत समिति स्तर पर प्रथम स्थान पर रही चयनित महिला पशुपालकों में से जिला स्तर पर दो महिला पशुपालको का चयन किया जावेगा एवं जिला स्तर पर चयनित महिला पशुपालकों में से राज्य स्तर पर दो महिला पशुपालकों का चयन किया जावेगा। चयनित महिला पशुपालक को एक ही स्तर पर पुरस्कृत किया जावेगा अर्थात राज्य स्तर पर चयनित महिला पशुपालक को जिला स्तर का पुरस्कार देय नहीं होगा एवं जिला स्तर पर चयनित महिला पशुपालक को पंचायत समिति स्तर का पुरस्कार देय नहीं होगा। यहां ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जिला स्तर चयनित होने वाली महिला पशुपालक अलग–अलग पंचायत समितियों से ही होंगी अर्थात एक ही पंचायत समिति से जिला स्तर पर दो महिला पशुपालकों का चयन नही किया जायेगा।
- नव गठित पंचायत समिति सीकरी (भरतपुर), भनोखर (अलवर),एवं बगड़ी (पाली) सहित कुल 355 पंचायत समितियों से प्रत्येक पंचायत समिति से एक–एक महिला पशुपालक को पुरस्कृत किया जावेगा। जोधपुर एवं जयपुर जिले को छोड़कर नव गठित जिलों सहित कुल 48 जिलों से प्रत्येक जिलें से दो महिला पशुपालकों सहित कुल 96 महिला पशुपालकों का चयन किया जावेगा। वर्ष 2024–25 में जिला स्तर पर चयनित 96 महिला पशुपालकों में से राज्य स्तर पर दो महिला पशुपालकों का चयन किया जावेगा।
- पंचायत समिति स्तर पर प्रथम रही महिला पशुपालक का चयन जिला स्तर पर होने की स्थिति में उसी पंचायत समिति से द्वितीय स्थान पर रही महिला पशुपालक का चयन पंचायत समिति स्तर किया जावेगा।
- जिला स्तर पर चयनित महिला पशुपालकों में से दो महिला पशुपालकों का चयन राज्य स्तर पर किया जावेगा। जिला स्तर पर चयनित महिला पशुपालकों में से राज्य स्तर पर चयन होने की स्थिति में उसी जिले में तृतीय स्थान पर रही महिला पशुपालक का चयन जिला स्तर पर किया जावेगा।
- राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा चयनित महिला पशुपालकों को पुरूस्कार राशि राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित कर प्रदान की जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Santosh Karol
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.11.25 18:29:27 IST
Reason: Approved

चयन समिति :–

पंचायत समिति स्तर पर :–

1	उप खण्ड अधिकारी /तहसीलदार/ विकास अधिकारी पंचायत समिति	अध्यक्ष
2	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य
3	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तर पर :–

1	जिला कलेक्टर/सहायक जिला कलेक्टर/प्रतिनिधी	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक (आत्मा)	सदस्य
3	प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
4	जिला संयुक्त निदेशक/जिला उप निदेशक पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर :–

1	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, पशुपालन	अध्यक्ष
2	प्रबंध निदेशक, आर.सी.डी.एफ., जयपुर	सदस्य
3	निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य
4	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड,	सदस्य
5	अतिरिक्त निदेशक,(उत्पादन एवं विस्तार) निदेशालय, पशु पालन विभाग, राज.	सदस्य

पुरस्कारों की संख्या एवं राशि का विवरण :–

विवरण	महिला पशुपालकों का चयन	पुरस्कारों की संख्या	राशि प्रति पुरस्कार	कुल योग (लाख रूपये में)
राज्य स्तर पर	2	2	रू. 50,000.00	रू. 1.00
जिला स्तर पर (48) जयपुर एवं जोधपुर के अतिरिक्त	48	96	रू. 25,000.00	रू. 24.00
पंचायत समिति (355) स्तर पर	355	355	रू. 10,000.00	रू. [illegible]
योग		**453**		रू. 60.50

Signature valid
Digitally signed by Santosh Karol
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.11.25 18:29:27 IST
Reason: Approved

प्रगतिशील महिला पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में पशुपालन निदेशालय, जयपुर के स्तर से विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के पर तदनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जानी है। समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर जिलें की समस्त पंचायत समितियों से महिला पशुपालकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करावें। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं निर्धारित अंक प्रणाली संलग्न है।

पशुपालक सम्मान योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पशुपालन विभाग, द्वारा पंचायत समिति स्तर पर चयनित प्रगतिशील पशुपालकों की सूची एवं जिला स्तर पर चयनित प्रगतिशील पशुपालकों की सूची मय पत्रावली के उपनिदेशक, विस्तार एवं जनसम्पर्क, पशुपालन निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(संतोष करोल)
शासन उप सचिव

क्रमांक :–एफ.वी.(60)/विस्तार/पशुपालक सम्मान/15–16/10893-11938 दिनांक : 27/11/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री कृषि एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, राज.जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राज.जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राज.जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, ...।
6. निदेशक/आयुक्त कृषि विभाग, पंत कृषि भवन जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, आर.सी.डी.एफ, जयपुर।
9. समस्त अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग..................................।
10. जिला स्तरीय समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग....................................।
11. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी
12. समस्त जिला नोडल अधिकारी, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
13. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार ....।
14. विकास अधिकारी पंचायत समिति,.......................................।
15. प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, ...।

Signature valid
Digitally signed by Santosh Karol
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2024.11.25 18:29:27 IST
Reason: Approved

शासन उप सचिव

वर्ष 2024–25 पशुपालक सम्मान योजनान्तर्गत प्रगतिशील महिला पशुपालकों के चयन हेतु अंक प्रणाली

पशुपालक का नाम एवं पता	पंचायत समिति का नाम	मोबाईल नम्बर	कैटल हैड पशुधन की संख्या (अधिकतम 10 अंक)	प्रमाणित शुद्ध नस्ल (अधिकतम 10 अंक) उपलब्ध पशुधन में से शुद्ध नस्लों का प्रतिशत निकालकर उसमें 10 का भाग देना है।	पशु प्रबन्धन हेतु उल्लेखित प्रत्येक गतिविधि के लिए अधिकतम 2 अंक 1. छायादार पक्का पशु आवास 2. पशु आवास की स्वच्छता 3. चारे व पानी की व्यवस्था 4. सूखे चारे का भंडारण 5. अभिलेख संधारण	हरे चारे का उत्पादन (प्रति बीघा 1 अंक) अधिकतम 5 अंक	हे/साइलेज तकनीक का उपयोग (अधिकतम 5 अंक)	पशुपालन के क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कार (अधिकतम 20 अंक)	मिल्किंग मशीन का उपयोग	चैफ कटर का उपयोग	हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा हरे चारे का उत्पादन	संक्रामक रोगो से बचाव हेतु टीकाकरण	परजीवी रोगो से बचाव हेतु डोजिंग एवं डस्टिंग	राजकीय योजनान्तर्गत कम से कम 3/5 दिवसीय पशुपालक भ्रमण में प्रतिभागिता	उन्नत पशुपालन के लिए आवासीय प्रशिक्षण में प्रतिभागिता	कृत्रिम गर्भाधान एवं इनाफ टैगिंग	अधिकतम 100 अंकों में से प्राप्त अंकों का कुल योग
			10	10	10	05	05	20	05	05	05	05	05	05	05	05	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

नोट–

- **कॉलम संख्या–4** में एक कैटल हैड से तात्पर्य है (one cattle unit = 1 cow / 1 buffalo /1 Camel/10 sheep / 10 goats / 5 pigs / 100 poultry) प्रति दस कैटल हैड पर 1 अंक एवं 100 कैटल हैड या उससे अधिक होने पर अधिकतम 10 अंक का निर्धारण किया गया है।
- **कॉलम संख्या–9** में पंचायत/तहसील स्तर पर प्राप्त पुरस्कार हेतु 5 अंक प्रति पुरस्कार (अधिकतम 4 पुरस्कार), जिला स्तर पर प्राप्त पुरस्कार हेतु 10 अंक प्रति पुरस्कार (अधिकतम 2 पुरस्कार) एवं राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कार हेतु 20 अंक प्रति पुरस्कार (अधिकतम 1 पुरस्कार) प्रमाण पत्रों की प्रतियां आवश्यक रूप से प्राप्त की जानी है।
- **कॉलम संख्या–15 एवं 16** में उल्लेखित गतिविधियों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र/राजकीय दस्तावेज प्राप्त कर निर्धारित अंक दिये जायेंगें।